मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा आसन नदी 14/10 ग्राम फतेहपुर, धर्मावाला, प्रतीतपुर, शहापुर व कल्याणपुर, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु दिनांक 01.09.2025 (प्रातः 11.00 बजे), स्थान परियोजना स्थल के समीप पंचायत भवन, ग्राम धर्मावाला, में पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा **आसन नदी 14/10 (क्षेत्रफल–25.20 हे0)** में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 (यथासंशोधित 2009) के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 (यथासंशोधित 2009) के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में **ग्राम धर्मावाला तहसील विकासनगर, जिला देहरादून** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11.00 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा आसन नदी 14/10 में लघु खनिजों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखंड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 15.08.2025 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आक्षेप मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिसे संकलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्षा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इसके उपरान्त में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मै0 **एजिस एनवायरनमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि श्री पार्थ** द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 25.20 हे0 है, जो कि **ग्राम फतेहपुर, धर्मावाला, प्रतीतपुर, शहापुर व कल्याणपुर, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून** में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 को लीज पर दिया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु खनिजों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु खनिजों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि तीन मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना में खनन कार्य पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके किया जायेगा। जया जोशी द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री ऋषिपाल सैनी, (पूर्व प्रधान) ग्राम प्रतीतपुर, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य नदी के कितने क्षेत्र पर किया जायेगा, नदी के दोनों ओर किसनों के खेत हैं तथा खनन क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी, यह प्रस्तुतीकरण में स्पष्ट नहीं किया गया है। आसन नदी में सालभर पानी का बहाव रहता है जिस कारण खनन कार्य करना सम्भव नहीं है तथा किसानों की भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावना में 03 मीटर तक गहराई तक खुदाई का उल्लेख किया गया है। क्षेत्र में 03 मीटर के कम गहराई पर ही पानी के स्रोत है, अधिक गहराई तक खनन कार्य से नदी के सुखने की सम्भावना है।

2. **श्री मस्ताना (पूर्व प्रधान), ग्राम धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि नदी में बारह माह जल प्रवाह रहता है तो खनन कार्य कैसे सम्भव है? खनन सामग्री के परिवहन हेतु किन मार्गों का प्रयोग किया जायेगा, यह बात प्रस्तुतीकरण में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, श्री मस्ताना द्वारा कहा गया। खनन कार्य से निजि भूमि धारकों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जाये, खनन से ग्रामीणों को क्या लाभ होगा तथा खनन से ग्रामीणों को सामग्री मंहगे दामों पर प्राप्त होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि आज तक नदी से बहाव से किसी पुल को भी नुकसान नहीं हुआ है। खनन कार्य क्षेत्र से लगे पुल व कृषि भूमि को नुकसान होने की सम्भावना है। श्री मस्ताना द्वारा खनन का विरोध किया गया।

3. **श्री अमित कुमार, निवासी फतेहपुर, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर काफी ऊपर है, खनन कार्य 03 मीटर की गहराई तक करने पर ही भूमिगत जल निकलने लगेगा, जिससे खनन कार्य किया जाना सम्भवन नहीं है।

4. **श्री यशपाल सैनी, ग्राम प्रतीतपुर, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए पुस्तों का निर्माण किया जाना चाहिए। गॉव में खनन वाहनों के परिवहन से असुविधा होती है। श्री यशपाल द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन वाहनों के परिवहन हेतु किन मार्गों का प्रयोग किया जायेगा, इसका उल्लेख प्रस्तुतीकरण में नहीं किया गया है। नदी में वाहनों के जाने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है।

5. **श्री अमन, निवासी धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन क्षेत्र तक पहुॅचने हेतु किन मार्गों का प्रयोग किया जायेगा? इसके सम्बंध में कोई भी विवरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है।

6. **श्री सुनील, ग्राम धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून** द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को खनन कार्य में रोजगार मिलना चाहिये तथा बाहरी लोगों को रोजगार न दिया जाये। श्री सुनील द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रस्तुतीकरण में मार्गो का विवरण नहीं दिया गया है।

7. **श्री रघुवीर तोमर, (क्षेत्र पंचायत सदस्य) शहांपुर, विकासनगर, देहरादून** द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रस्तुतीकरण में 25,200 पौंधे लगाये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वृक्षारोपण कहॉ किया जायेगा एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी या नहीं?

8. **श्री अस्पाक अली, धर्मावाला, विकानगर, देहरादून द्वारा** कहा गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों का प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिये।

9. **मोहम्मद अली मस्तान, धर्मावाला, विकानगर, देहरादून द्वारा** कहा गया कि खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा खनन के परिवहन हेतु प्रयुक्त मार्गों हेतु स्थानीय लोगों से मिलकर इसका विकल्प निकाला जाये। मोहम्मद अली द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन से कृषि भूमि को नुकसान न हो तथा मार्ग व खनन प्रबंधन मानकों के अनुरूप ही किया जाये। नदी से प्रवाहित निजि कृषि भूमि पर खनन कार्य न किया जाये।

10. **श्री अमित पंवार निवासी धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून** द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के पास कब्रिस्तान है। खनन कार्य से होने से कब्रिस्तान की भूमि को नुकसान तो नहीं होगा? इस हेतु क्या व्यवस्था की जायेगी। उक्त का उल्लेख प्रस्तुतीकरण में नहीं किया गया है।

11. **श्री पुनीत कुमार, निवासी धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून** द्वारा सुझाव किया गया कि खनन क्षेत्र से प्रभावित चारों ग्राम सभाओं के निवासियों के सुझाव से ही खनन कार्य किया जाये।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि श्री प्रदीप रावत द्वारा कहा गया कि नदी के किनारों से 10 मीटर छोड़कर नदी के बीच में खनन कार्य किया जायेगा। खनन में निजी भूमि को नहीं लिया गया है। खनन कार्य राजस्व भूमि पर ही किया जायेगा। नदी में 25.20 है. क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा। सामान्य महीनों में नदी का प्रवाह कम होने पर खनन कार्य किया जायेगा। खनन कार्य दिन के समय किया जायेगा। खनन क्षेत्र से मेन हाइवे

तक जाने के लिए पृथक से रोड बनायी जायेगी। किसानों के खेतों से परिवहन मार्ग नही बनाये जायेंगे। उक्त परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। परिवहन हेतु मार्ग सभी लोगों से सहमति प्राप्त कर ही निर्धारित किया जायेगा तथा पूर्व में खनन हेतु प्रयुक्त मार्गों पर भी विचार किया जायेगा। भूमि को कटाव से बचाने हेतु पॉच साल में कुल 25,200 पौधों से वृक्षारोपण किया जायेगा। मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज, हर्बटपुर में भौतिकी प्रयोगशाला उपकरणों हेतु मद दिया गया है। खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गयी। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटोग्राफ
2. पैन ड्राइव
3. उपस्थिति पंजिका

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(स्मृता परमार)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
देहरादून

Date ....

Page ....

आज दिनांक 01-09-2025 को मैं० कैलाश रिवर बेड मिनरल्स एल०एल०पी० लेन नं० 2 सहस्त्रधारा रोड देहरादून द्वारा आसन नदी म०/व० ग्राम फतेहपुर, धर्मावाला, प्रतीतपुर, शाहपुर कल्याणपुर विकास नगर देहरादून द्वारा आसन नदी में लोक सुनवाई की उपस्थिति का विवरण।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग/संस्थान	मो० नं० हस्ताक्षर
1.		विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून		[signature]
2.	इन्दरसिंह चौहान	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ० के० प्र० नि० बो० देह०		9719090547 [signature]
3	फरियाद अंसारी	धर्मावाला		9719351614
(4)	धीरज सैनी	प्रतीतपुर		8650111990
4	अमन कुमार	प्रतीतपुर		9358988607
(5)	मो० कलीम	धर्मावाला		8006832085 Kaleem
(6)	महबूब	धर्मावाला		9758254285
(7)	शाकिर हुसैन	धर्मावाला		9758885854
(8)	अकबर अली	धर्मावाला		9719245850
(9)	शौकीन	धर्मावाला		7300515674
10	नसीम अहमद	धर्मावाला		7830156133
11	दिलशाद	धर्मावाला		8393870360
12	सलीम	धर्मावाला		9690215 09
13	गफ्फार	,,		83928323
14	अब्दुल हसन	,,		75052901 08
15	कादिर हुसैन	,,		8273145082
16	नरेन्द्र कुमार	प्रतीतपुर		7302684019
17-	विनोद कुमार राठौर	प्रतीतपुर		639974446
18	SAHIL	[illegible]		

Date ....

Page ....

	नाम	गाँव	हस्ता
20	जगदीश पाल सैनी	प्रतीतपुर	[illegible]
21	आकिल पर्वाट	फतेहपुर	[illegible]
22	प्रदीप रावत	फतेहपुर	[illegible]
23	Firoj khan	"	
24	जावेद	धर्मवाला	
25	विकास शर्मा	शाहपुर कल्याणपुर	Vikas Sharma
26	अंकित	धर्मवाला	Ankit
27	उस्मान खान	धर्मवाला	usman
28	कलीम	धर्मवाला	Kaleem
29	मुस्ताक	धर्मवाला	मुस्ताक
30	आदम अन्सारी	धर्मवाला	आदम
31	आसिफ खान	पारसपुर	आसिफ
32	सलीम खान	प्रतीतपुर	सलीम
33.	सुनील कुमार	फतेहपुर	सुनील